

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 () रसद/केरो.आ./2015/

1230-50

दिनांक :- 07/07/2015

उप आवंटन आदेश

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/99/ दिनांक 14/06/2006 एवं पत्र क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/2001 दिनांक 23/01/2003 के निर्देशों की अनुपालना में खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 20 के अध्याधीन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु माह जुलाई, 2015 के लिए खाद्य विभाग द्वारा जिले को 1236के. एल. केरोसीन का प्रति माह आवंटित किया गया है।

अतः पंचायत समितिवार/थोक विक्रेतावार केरोसीन का आवंटन/रोस्टर निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

(के०एल०)


क्र.सं.	क्षेत्र	मैं सुमतिलाल हजारीनल केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाड़ा	मैं एट योर डोर केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाड़ा	मैं त्रिपुरा एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, कुशलगढ	मैं सांवरिया एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, घाटोल	मैं सिद्धि विनायक केरोसीन थोक विक्रेता, गढी	योग
1	नगर बांसवाड़ा	7.81	0.00	24.42	0.00	40.59	72.82
2	नगर कुशलगढ	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
3	पं. स. तलवाड़ा	0.00	0.00	0.00	179.08	0.00	179.08
4	पं. स. छोटी सरवन	0.00	0.00	0.00	68.86	0.00	68.86
5	पं. स. गढी	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	220.66
6	पं. स. आनन्दपुरी	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00	99.44
7	पं. स. बागीदौरा	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00	164.78
8	पं. स. सज्जनगढ	0.00	0.00	111.32	0.00	0.00	111.32
9	पं. स. कुशलगढ	0.00	0.00	99.44	0.00	0.00	99.44
10	पं. स. घाटोल	0.00	0.00	0.00	0.00	204.49	204.49
	योग	228.47	264.22	246.18	247.94	245.08	1231.89
	योग (कुल आवंटित)	247.00	247.00	247.00	248.00	247.00	1236.00
	आरक्षित	18.53	-17.22	0.82	0.06	1.92	4.11

निर्देश :-

- ऑयल कम्पनी द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को उपरोक्त अंकित केरोसीन की आवंटित मात्रा को परिवर्तन की स्थिति में सम्बन्धित थोक विक्रेता समय पर केरोसीन वितरण से बचे हुए डीलरों की सूची जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, ताकि उन्हें अन्य थोक विक्रेताओं से केरोसीन उपलब्ध करवाया जा सके। प्राप्त आवंटन की तुलना में वितरण सूची में केरोसीन की मात्रा अधिक होने पर पूर्व स्टोक से आपूर्ति करेंगे।
- अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक एफ 65 (2) खा.वि./ एल.पी.जी./पेपर कटिंग/ 06 दिनांक 18/02/2011 के द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को प्रत्येक माह 1 से 14 तारीख के मध्य 70 प्रतिशत तथा 15 से 25 तक माह की अन्तिम तिथि तक 30 प्रतिशत केरोसीन तेल का उठाव करने एवं दिनांक 1 से 14 एवं 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक - पृथक रोस्टर जारी के आदेश है।
- बिन्दु संख्या 1 की पालना में नगर बांसवाड़ा एवं नगर कुशलगढ के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 14 तारीख तक केरोसीन तेल का उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण किया जावे।
- बिन्दु संख्या 1 की पालना में पंचायत समितिवार प्रत्येक माह की 1 से 14 (70 प्रतिशत) एवं दिनांक 15 से 25 तक माह की अन्तिम तिथि का पृथक - पृथक रोस्टर जारी किया गया है। अतः रोस्टर के मुताबिक उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन वितरण किया जावे।
- थोक विक्रेता इस आदेश के साथ संलग्न सारणी में आवंटित मात्रा के अनुसार ही खुदरा विक्रेताओं को केरोसीन की आपूर्ति करेंगे। आवंटित मात्रा से कम/अधिक मात्रा की आपूर्ति नहीं की जावेगी।
- समस्त प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2009 जयपुर दिनांक 20/11/09 की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दैनिक सूचना नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा को प्रस्तुत करेंगे।


7. अधिकृत केरोसीन थोक विक्रेताओं द्वारा टैंकर क्रम संख्या अनुसार आपूर्ति किये गये केरोसीन की सूचना आगामी दिवस को सुबह जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालयको संलग्न प्रारूप "ख" में प्रस्तुत की जावेगी व प्रारूप "क" व "ग" में माह समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रस्तुत की जावेगी।
8. खुदरा विक्रेता क्रमानुसार केरोसीन की प्राप्ति करेंगे एवं थोक विक्रेता केरोसीन खाली करने आये तब खुदरा विक्रेता खाली करवाने एवं भुगतान से इनकार नहीं करेंगे।
9. विभाग द्वारा जिले में प्रचलित राशनकार्डों के अनुसार 3.29 लीटर के अनुपात में 1236 केएल केरोसीन आवंटित किया गया है। जिसे प्रति राशनकार्ड 4 लीटर केरोसीन वितरण करवाने के निर्देश दिये गए हैं।
10. खाद्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवटन/2013 दिनांक 28/01/2013 की अनुपालना में खुदरा विक्रेता एलपीजी गैस के डीबीसी एवं एस.बी.सी. गैस कनेक्शन धारकों को केरोसीन वितरण नहीं करेंगे। बिना गैस के राशनकार्ड धारियों को 4 लीटर तक प्रतिमाह केरोसीन की ही आपूर्ति करेंगे। केरोसीन उपभोक्ता को 17.50 रु. प्रति लीटर में नये डीजिटल राशनकार्डों पर विक्रय किया जावेगा। केरोसिन प्राप्त होने पर सतर्कता समिति से भौतिक सत्यापन करवाया जाकर दिनांक 10 से 24 तक उपभोक्ता सप्ताह के दौरान किया जावेगा। साथ ही अपने निवास से दूर अध्ययनरत छात्रों को उनके संस्था प्रधान द्वारा जारी राशन कार्डों पर प्रति राशन कार्ड 4 लीटर तक केरोसीन वितरण किया जावेगा। वितरण पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधानों से सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी माह का केरोसीन आवंटित किया जावेगा। अवशेष केरोसिन अपने स्टोक में सुरक्षित रखा जावेगा।
11. नीले केरोसीन का खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के अलावा अन्य उपयोग प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है। केरोसीन के उठाव व वितरण पर प्रवर्तन स्टाफ एवं राजस्व विभाग के द्वारा पूर्ण निगरानी रखी जावेगी एवं आदेश की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर (रसद),
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सांसद महोदय, बांसवाड़ा- डूंगरपुर ससदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाड़ा।
3. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
4. निदेशक महोदय, निधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
5. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाड़ा/तलवाड़ा/घाटोल/बागीदौरा/छोटी सरवन/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/अस्थुना/गांगडतलाई/गढी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
7. उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा/कुशलगढ/घाटोल/बागीदौरा/गढी/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/छोटी सरवन/।
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा।
9. उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकि एवं संचार, बांसवाड़ा को वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
10. आयुक्त, नगर परिषद बांसवाड़ा/अधीशासी अधिकारी नगर पालिका, कुशलगढ।
11. जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाड़ा
12. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा /तलवाड़ा / गढी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी /सज्जनगढ/कुशलगढ/ छोटी सरवन/गांगडतलाई/अस्थुना।
14. प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक, बांसवाड़ा/घाटोल/गढी/कुशलगढ/बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सुगतिलाल हजारीमल, बांसवाड़ा।
16. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स एट थोर डोर, बांसवाड़ा।
17. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सिद्धि विनायक गढी।
18. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स त्रिपुरा एजेन्सी, कुशलगढ।
19. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सांवरिया सप्लाधर्स, घाटोल।
20. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला, बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक।
21. लेखा / वितरण शाखा।


जिला कलक्टर (रसद),
बांसवाड़ा